न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 219/2019

अनवान :

1. महेन्द्र पुत्र रणधीर जाति जाट निवासी गदरा त0 भादरा।

:— वादी

ब ना म

1. गौरा देवी पत्नी स्व0 रणधीर जाति जाट निवासी गदरा त0 भादरा।
2. महावीर पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी गदरा त0 भादरा।
3. कृष्ण पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी गदरा त0 भादरा।

:— प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री कपूरचन्द शर्मा एवं प्रतिवादी वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गदरा के खाता सं0 105/18 के खसरा सं 13 की 0.8220है0 बारानी, खसरा नं0 30 की 0.3540है0 बारानी, खसरा नं0 32 की 0.2530है0 बारानी व खसरा नं0 35 की 2.997है0 बारानी, खसरा नं0 78 की 3.0350है0 बारानी, खसरा नं0 198/2 की 0.6700है0 बारानी, खसरा नं0 208 की 0.9480है0 बारानी, खसरा नं0 348/218 की 1.9600है0 बारानी, कुल 11. 0390है0 बारानी में वादी एवं प्रतिवादीया गौरा देवी पत्नी स्व0 रणधीर महेन्द्र वल्द रणधीर 1/7 हिस्सा बराबर का नाम कलमजन किया जाकर महेन्द्र वल्द रणधीर 1/7 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा इसी खाता में गौरा देवी पत्नी स्व0 बनवारी व महावीर, कृष्ण पिसरान बनवारी 1/7 हिस्सा यथावत दर्ज रखा जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.04.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 219/2019

अनवान :

1. महेन्द्र पुत्र रणधीर जाति जाट निवासी गदरा त0 भादरा।

:— वादी

ब ना म

1. गौरा देवी पत्नी स्व0 रणधीर जाति जाट निवासी गदरा त0 भादरा।
2. महावीर पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी गदरा त0 भादरा।
3. कृष्ण पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी गदरा त0 भादरा।

:— प्रतिवादी

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री कपूरचन्द शर्मा : **वादी**
श्री सुरेन्द्र बैनीवाल : **प्रतिवादी**

निर्णय **दिनांक :**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा गदरा के खाता सं0 105/18 के खसरा सं 13 की 0.8220है0 बारानी, खसरा नं0 30 की 0.3540है0 बारानी, खसरा नं0 32 की 0.2530है0 बारानी व खसरा नं0 35 की 2.997है0 बारानी, खसरा नं0 78 की 3.0350है0 बारानी, खसरा नं0 198/2 की 0.6700है0 बारानी, खसरा नं0 208 की 0.9480है0 बारानी, खसरा नं0 348/218 की 0.1.9600है0 बारानी, कुल 11.0390है0 बारानी में वादी एवं प्रतिवादीया के नाम 1/7 हिस्सा बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादीया गौरा देवी वादी की माता है वादी के पिता का देहान्त दिनांक 01.01.1976 को हो गया था एवं वादी के पिता के देहान्त के बाद उनके नाम 1/7 हिस्सा की भूमि वादी व प्रतिवादीया गौरा देवी के नाम 1/7 हिस्सा बहिस्सा बराबर दर्ज हो गयी थी। चूंकि वादी के पिता की मृत्यु के बाद वादी की माता ने वादी के चाचा बनवारी के साथ करेवा कर लिया जिससे प्रतिवादी सं0 2 महावीर व प्रतिवादी सं0 3 कृष्ण पेदा हुये। बनवारी की मृत्यु दिनांक 28.09.2004 के होने के बाद बनवारी के नाम वाली 1/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादीगण के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हो गयी।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी ने अपना राजीनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादीगण के द्वारा राजीनामा पेश किये जाने के बाद तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में महेन्द्र सिंह पुत्र रणधीरसिंह जाति जाट निवासी गदरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही गदरा संवत 2073—76 प्रदर्श 1, मृत्यु प्रमाण पत्र रणधीरसिह चित्रप्रति प्रदर्श 2ए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवारीलाल चित्रप्रति 3ए प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि रोही मौजा गदरा के खाता सं0 105/18 के

Scanned with CamScanner

खसरा सं 13 की 0.8220है0 बारानी, खसरा नं0 30 की 0.3540है0 बारानी, खसरा नं0 32 की 0.2530है0 बारानी व खसरा नं0 35 की 2.997है0 बारानी, खसरा नं0 78 की 3.0350है0 बारानी, खसरा नं0 198/2 की 0.6700है0 बारानी, खसरा नं0 208 की 0.9480है0 बारानी, खसरा नं0 348/218 की 0.1.9600है0 बारानी, कुल 11.0390है0 बारानी में वादी एवं प्रतिवादीया के नाम 1/7 हिस्सा बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीया गौरा देवी पत्नी स्व0 रणधीर महेन्द्र वल्द रणधीर 1/7 हिस्सा बराबर का नाम कलमजन किया जाकर महेन्द्र वल्द रणधीर 1/7 हिस्सा का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावें तथा इसी खाता में गौरा देवी पत्नी स्व0 बनवारी व महावीर, कृष्ण पिसरान बनवारी 1/7 हिस्सा यथावत दर्ज रखा जावें।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने वाद भूमि की जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र रणधीर व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवारी के प्रदर्श 1 से 3 प्रदर्शित करवाये। इस प्रकार वाद वादी स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गदरा के खाता सं0 105/18 के खसरा सं 13 की 0.8220है0 बारानी, खसरा नं0 30 की 0.3540है0 बारानी, खसरा नं0 32 की 0.2530है0 बारानी व खसरा नं0 35 की 2.997है0 बारानी, खसरा नं0 78 की 3.0350है0 बारानी, खसरा नं0 198/2 की 0.6700है0 बारानी, खसरा नं0 208 की 0.9480है0 बारानी, खसरा नं0 348/218 की 0.1.9600है0 बारानी, कुल 11.0390है0 बारानी में वादी एवं प्रतिवादीया गौरा देवी पत्नी स्व0 रणधीर महेन्द्र वल्द रणधीर 1/7 हिस्सा बराबर का नाम कलमजन किया जाकर महेन्द्र वल्द रणधीर 1/7 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा इसी खाता में गौरा देवी पत्नी स्व0 बनवारी व महावीर, कृष्ण पिसरान बनवारी 1/7 हिस्सा यथावत दर्ज रखा जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.04.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़